16/10/24

पत्रावली। वादी [illegible] पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रा. पत्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तहसीलदार को [illegible] [illegible] हो। संलग्न कर दी।

[illegible] कुमार शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/641

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.22 15:55:19 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

रामकुमार बनाम चन्द्रपाल व अन्य

किस्म मुकद्मा:– 251(क) आर.टी.ए. प्रकरण संख्या :–277/2024

GCMS :- 2024/641

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
16.10.2024	उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 8 एस डी के पत्थर न. 100/387(11) के किला न. 7/0.253 हैक, 13/1 में 0.140 हैक, 14/0.253 हैक, 17–18/0.506 हैक, 22/1 में 0. 250 हैक, 23/0.253 हैक कुल 1.655 हैक भुमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी शामिल पत्रावली हो। उक्त भुमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज चक 8 एस डी के पत्थर न. पत्थर न. 99/388(15) के किला न. 9/0.253 हैक, 11/1 में 0.228 हैक कुल 0.481 हैक अनकमाण्ड व पत्थर न. 100/388(14) के किला न. 12/4 में 0.0030 हैक 13/0.253 हैक, 15/0.253 हैक, 16/1 में 0.038 हैक, 17/1 में 0.051 हैक, 18/1 में 0.089 हैक, 19/3 में 0.012 हैक कुल 0.699 हैक व अप्रार्थी न. 2 के नाम से पत्थर न. 100/388(14) के किला न. 2 ता 5/1.012 हैक, 7 ता 9/0.759 हैक, 10/4 में 0.013 हैक कुल 1.784 हैक व पत्थर न. 101/387(12) के किला न. 15/0.253 हैक, 16/1 में 0.101 हैक, 17–18/0.506 हैक, 22 ता 24/0.759 हैक, 25/3 में 0.127 हैक कुल 1.746 हैक दोनो पत्थरनम्बरान में कुल 3.530 हैक भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपने उक्त खातेदारी भुमि में आने जाने हेतु इसी चक 8 एस डी के पत्थर न. 100/388(14) के किला न. 3, 8, 13, 18 में 2–2 बिस्वा चौडाई में पश्चिमी पासा में से आगवामन करता आ रहा है। जो अप्रार्थीगण न. 1 व 2 के नाम से है। अप्रार्थी न. 1 व 2 रास्ता देने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 8 एस डी के पत्थर न. 100/388(14) के किला न. 3, 8, 13, 18 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जावे। बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो व अप्रार्थी न. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भुमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु रास्ता मिलना चाहिए। प्रार्थी अपने खेत में आवागमन हेतु पत्थर न. 100/388(14) के किला न. 3, 8, 13, 18 में 2–2 बिस्वा चौडाई में से आवगमान करता है। जो कि मौका पर चल रहा है। अप्रार्थी न. 1 व 2 भी जरिये शपथ पत्र प्रार्थी को रास्ता देने हेतु सहमति दे चुके है। जिसमें अप्रार्थी न. 1 व 2 द्वारा कोई रास्ता के बदले मुआवजा अथवा भुमि की मांग नही की गई है। अतः दोनो पक्षकारो की सहमति के आधार पर कानुनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हम स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम की भुमि चक 8 एस डी के पत्थर न. 100/388(14) के किला न. 3, 8, 13, 18 में से 2–2 बिस्वा रास्ता उक्त किलाजात के पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता अप्रार्थी न. 1 व 2 के खातेदारी रकबा में से कम कर गै0मु0 रास्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें। तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्णय अनुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.10.22 15:55:19 IST Reason: SelfAttested (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक / 277 / 2024 / 16.10.2024 / ४००९ दिनांक :—16.10.2024

तहसीलदार
सूरतगढ़।

विषयः—प्रकरण संख्या 277 / 2024 अनवान् रामकुमार बनाम चन्द्रपाल वगैरा अ0धा0 251—क आर0टी0ए0 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2024 की पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रामकुमार पुत्र नानूराम को अपने खातेदारी रकबा में आवागमन हेतु अप्रार्थी न. 1 चन्द्रपाल पुत्र मदनलाल के खातेदारी रकबा चक 8 एस.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 29 / 66 में पत्थर संख्या 100 / 388 के किला नं. 13 व 18 / 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 जेठाराम पुत्र राजुराम के खातेदारी रकबा चक 8 एस.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 35 / 59 में पत्थर संख्या 100 / 388 के किला नं. 3 व 8 इस प्रकार उक्त खातेदारान के किला संख्या 3, 8, 13, 18 में से 2—2 बिस्वा रास्ता पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता अप्रार्थी न. 1 व 2 के खातेदारी रकबा में से कम कर गै0मु0 रास्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनश्चित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.22 15:55:19 IST
Reason: SelfAttested